ग्राम पंचायत पंडोगा, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पंडोगा, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत पंडोगा में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री गुलविंदर सिंह	01.04.2022 से 31.03.2023

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुनील कुमार	01.04.2022 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत पंडोगा, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.23 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	6.1	अनुदान का उपयोग हेतु शेष	30.43
2	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	1.29
3	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय	7.75
4	8.2	निर्माण सामग्री पेवर / ब्लॉक्स का अनियमित क्रय	3.26
5	8.4	आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.36
6	8.5	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.32
7	9.1	मनरेगा शीर्ष से अधिक / अनियमित भुगतान	4.10
8	10	माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	6.06

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2015 से 03/2018

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-4 (ग)	अनिर्णीत।	
2.	पैरा-4 (घ)	अनिर्णीत।	
3.	पैरा-5 (ii)	अनिर्णीत।	
4.	पैरा-7	अनिर्णीत।	
5.	पैरा-8	अनिर्णीत।	
6.	पैरा-9	अनिर्णीत।	
7.	पैरा-10 (क)	अनिर्णीत।	
8.	पैरा-10 (ख)	अनिर्णीत।	

9.	पैरा-10 (ग)	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-11	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-12	अनिर्णीत।	
12.	पैरा-13	अनिर्णीत।	
13.	पैरा-14	अनिर्णीत।	
14.	पैरा-15	अनिर्णीत।	
15.	पैरा-16	अनिर्णीत।	
16.	पैरा-17	अनिर्णीत।	
17.	पैरा-18	अनिर्णीत।	
18.	पैरा-19	अनिर्णीत।	
19.	पैरा-20	अनिर्णीत।	
20.	पैरा-21	अनिर्णीत।	
21.	पैरा-22	अनिर्णीत।	
22.	पैरा-23	अनिर्णीत।	
23.	पैरा-24	अनिर्णीत।	
24.	पैरा-25	अनिर्णीत।	

2) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**		
1.	पैरा-3	निर्णीत।	(अंकेक्षण शुल्क ₹9000/- की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या 564471 दिनांक 11.10.2022 द्वारा कर ली गई है)
2.	पैरा-4	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 (क व ख) में पुनः प्रारूपित।
3.	पैरा-5	अनिर्णीत	
4.	पैरा-6 (क) (i व ii)	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.1 (क व ख) में पुनः प्रारूपित।
5.	पैरा-6 (ख)	अनिर्णीत	
6.	पैरा-7	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुनः प्रारूपित।
7.	पैरा-8	अनिर्णीत।	
8.	पैरा-9	अनिर्णीत।	

9.	पैरा-10	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-11	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-12	अनिर्णीत।	
12.	पैरा-13	अनिर्णीत।	
13.	पैरा-14	अनिर्णीत।	
14.	पैरा-15	अनिर्णीत।	
15.	पैरा-16	अनिर्णीत।	
16.	पैरा-17	अनिर्णीत।	
17.	पैरा-18	अनिर्णीत।	
18.	पैरा-19	अनिर्णीत।	
19.	पैरा-20	निर्णीत।	अपेक्षित रजिस्टरों की सत्यापना उपरांत।
20.	पैरा-21	अनिर्णीत।	
21.	पैरा-22	अनिर्णीत।	
22.	पैरा-23	अनिर्णीत।	
23.	पैरा-24	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 12 में पुन: प्रारूपित।

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत पंडोगा, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण सर्वश्री देव राज व अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22.03.2024 से 27.03.2024 तक ग्राम पंचायत पंडोगा के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	08/2022	05/2022

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। "

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत पंडोगा, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 291/2024 दिनांक 27/03/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत पंडोगा द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित पंजावर के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 329542 दिनांक 03/04/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत पंडोगा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 260/2024 दिनांक 22.03.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/23 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान नौ रोकड़ बहियों अर्थात् स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, अनुदान (प्लानिंग शीर्ष) Offline, स्वच्छ भारत मिशन Offline, स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) Online, 15वां वित्तायोग (Online), इंदिरा आवास योजना Offline, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट Offline, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (अंशदान) व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹) (3+4)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹) (5-6)
2	2022-23	3117211.79	12664019.49	15781231.28	12738304.35	3042926.93

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत पंडोगा के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.23 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर ₹88.50 था :-

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	3042926.93
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष (**परिशिष्ट क-1**)	**3042108.43**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	730.00
	योग (2+3)	**3042838.43**
	अन्तर (4-1)	**88.50**

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	PNB PANDOGA	1733000100105025	2357551.50
2	PNB PANDOGA	1733000100091674	30061.93
3	KCCB PANDOGA	20067016414	381553.00
4	PNB PANDOGA	1733000100092956	0.00

5	PNB PANDOGA	1733000100092956	188874.00
6	KCCB HAROLI	20048032427	26193.00
7	KCCB HAROLI	20048032697	57875.00
		योग	**3042108.43**
हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)			730.00
योग (1+2)			**3042838.43**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी। खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

(घ) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹88.50 का अन्तर :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को निम्न विवरणानुसार शीर्षों की रोकड बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹88.50** का अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 265/2024 दिनांक 22/03/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या PN-03 दिनांक 27/03/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए :-

1	2	3	4	5	6
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही का अन्तशेष**	**दिनांक 31.03.2023 को बैंक व हस्तगत शेष का योग**	**अन्तर (3-4)**	**अंतर का कारण**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	382253.50	382283.00	-29.50	
2	15वां वित्तायोग	2357669.50	2357551.50	118	दिनांक 16.01.21 को बैंक द्वारा काटे गये बैंक प्रभार को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में दर्ज न करना।
			कुल अंतर	**88.50**	

ड.) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालना :-

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में प्रतिदिन हुए लेन-देन की प्रविष्टियों उपरांत इसे बंद करते हुए अंत शेष निकालना आवश्यक है तथा मासांत एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। यद्यपि रोकड़ बहियाँ पंचायत प्रधान द्वारा आंशिक रूप से हस्ताक्षरित तो की गई थी, परन्तु न तो इनमें अंतशेष निकाले गए थे और न ही उनका नियमानुसार सत्यापन हुआ था। रोकड़ बहियों के अंतशेष न निकालने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह सम्पूर्ण तथा सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करती है। अत: इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 260/2024 दिनांक 27.03.2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या PN-01 दिनांक 27/03/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार

पंचायत का अवधि 04/22 से 03/23 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹30.43 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 260/2024 दिनांक 22.03.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट "क"** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹3042926.93** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है । अतः ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 260/2024 दिनांक 22.03.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या PN-01 दिनांक 27/03/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 260/2024 दिनांक 22.03.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या PN-01 दिनांक 27/03/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹1.29 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित है | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 260/2024 दिनांक 22.03.2024 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या PN-01 दिनांक 27/03/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹**129250 (परिशिष्ट "ख" अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	55250	74000	129250	00	129250

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए

पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था। अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.02 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **परिशिष्ट "ग" अनुसार** वसूली गई राशि **₹2400** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)**
2	2022-23	2400
	योग	**2400/-**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 269/2024 दिनांक 23.03.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या PN-03 दिनांक 27/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.04 लाख की वसूली न करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान **सलंग्र परिशिष्ट "ग" में वर्णित** मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹4400** की वसूली नहीं की गई थी | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 270/2024 दिनांक 23.03.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या PN-03 दिनांक 27/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल न की गई राशि की वसूली रसीद संख्या 634159 दिनांक 27/03/2024 द्वारा करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी गई है | अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र राजकीय कोष के मद 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹7.75 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार ₹774910** की सामग्री का क्रय मात्र तीन निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार (Wide publicity) अर्थात् कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाना अपेक्षित था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 287/2024 दिनांक 27/03/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या PN-03 दिनांक 27/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे उच्चाधिकारियों के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है | अत: परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**वाउचर संख्या**	**माह**	**फर्म का नाम व पता**	**बिल संख्या व दिनांक**	**क्रय किए गए सामान का विवरण**	**राशि (₹)**
1	स्वच्छ भारत मिशन	5	05/22	जसवाल ब्रो. ब्रिक्स बसाल	99-100 20.05.22	ईटें	75000
2	स्वच्छ	6	05/22	M/s Gagan	70 to 74	स्टील	210000

	भारत मिशन			& Brothers Ghaluwal	26.05.22	पाइप, पतरे इत्यादि	
3	15वें वितायोग	P/26 TO P/32	05/22	M/S Gagan & Brothers Ghaluwal	57 TO 62 11.05.22	चैनेल एंगल, जैक इत्यादि	150000
4	मनरेगा	शून्य	05/22	M/s Ojas block & Fly bricks baruhi	3292 to 3301 8/4/22	जिम का सामान	339910
						योग	**774910**

8.2 ₹3.26 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 05/2022 में **₹325680** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 282/2024 दिनांक 26.03.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या PN-03 दिनांक 27/03/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	बिल संख्या	माह	विवरण	राशि(18% GST सहित)
1	मनरेगा	3213	05/22	3500 टाईल / पेवर @ 14.16/- प्रति पेवर	49560
2	मनरेगा	3214	05/22	3500 टाईल / पेवर @ 14.16/- प्रति पेवर	49560
3	मनरेगा	3215	05/22	3500 टाईल / पेवर @ 14.16/- प्रति पेवर	49560
4	मनरेगा	3216	05/22	3500 टाईल / पेवर @ 14.16/- प्रति पेवर	49560
5	मनरेगा	3217	05/22	3500 टाईल / पेवर @ 14.16/- प्रति पेवर	49560
6	मनरेगा	3218	05/22	3500 टाईल / पेवर @ 14.16/- प्रति पेवर	49560
7	मनरेगा	3219	05/22	2000 टाईल / पेवर @ 14.16/- प्रति पेवर	28320
				योग	**325680**

8.3 स्टॉक रजिस्टर में ₹0.46 लाख की सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/23 के चयनित माह 05/2022 में **निम्न विवरणानुसार ₹46089** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 288/2024 दिनांक 27/03/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत पंडोगा के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या PN-03 दिनांक 27/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का

औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

क्रमांक	**शीर्ष का नाम**	**वाउचर संख्या व माह**	**बिल संख्या व दिनांक**	**फर्म का नाम एवं पता**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि (₹)**
1	15वें वित्तायोग	P/24 05.22	969-70 17.05.22	Shri Krishna Traders Haroli	सैनिटरी का सामान	46089

8.4 आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.36 लाख का अधिक भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में **₹**250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के चयनित माह 05/2022 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट घ** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹1800680** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹36014** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	चयनित माह	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)
1	05/2022	M/s Gagan & Brothers Ghaluwal	GI WIRE, paints material, steel angles etc	1234180	24684 (2% x 1234180)
2	05/2022	M/s Ojas Block & flyash bricks baruhi	जिम से सम्बन्धित सामग्री, पेवर इत्यादि	566500	11330 (2% x 566500)
			योग	**1800680**	**36014**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 290/2024 दिनांक 27/03/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या PN-03 दिनांक 27/03/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित ₹**36014** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.5 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.32 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा |

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 05/2022 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न

परिशिष्ट "ङ" अनुसार ₹32130 का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 283/2024 दिनांक 26/03/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या PN-03 दिनांक 27/03/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अतः खनन के स्रोत की वैधता सुनिश्चित करते हुये मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए तथा तदानुसार **₹32130** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

9.1 मनरेगा शीर्ष से ₹4.10 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/23 के चयनित मास 05/2022 में निम्न विवरणानुसार मनरेगा शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्यों के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं की जाँच दौरान पाया गया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट व पेवर / ब्लॉक्स को खपत से अधिक जारी करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "च"** के अनुसार **₹409822/-** का अधिक भुगतान किया गया |

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 289/2024 दिनांक 27/03/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या PN-03 दिनांक 27/03/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

9.2 स्वच्छ भारत मिशन शीर्ष से ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/23 के चयनित मास 05/2022 में स्वच्छ भारत मिशन शीर्ष से करवाए गए निर्माण कार्य, निर्माण शेड पंचायत घर के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिका की जाँच दौरान पाया गया कि तकनीकी सहायक द्वारा माप पुस्तिका संख्या 19649

के पृष्ठ संख्या 57 से 60 पर 35 नंबर स्टील पतरे सत्यापित (Verify) किए गये, जबकि उक्त निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत द्वारा 37 नंबर स्टील पतरे जारी किए गये थे अर्थात् पंचायत द्वारा 2 नंबर स्टील पतरों को खपत से अधिक जारी करने के कारण **₹6608** (3304 प्रति पतरा × 2 नंबर) का अधिक भुगतान किया गया था | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 286/2024 दिनांक 27/03/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या PN-03 दिनांक 27/03/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली रसीद संख्या 634161 दिनांक 27/03/2024 द्वारा करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी गई है, जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पास बुक से कर ली गई है |

9.3 स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित शीर्ष) से ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/23 के चयनित मास 05/2022 में व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्व: स्त्रोत निधि से वाउचर संख्या 2 व 3 द्वारा विज्ञापन पर **₹6956** का भुगतान किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में **वर्णित Appendix-"A"** के क्रम संख्या 13 अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल ₹5000 तक का भुगतान ही एक वित्तीय वर्ष में विज्ञापन पर किया जा सकता है अर्थात ग्राम पंचायत द्वारा ₹1956 (6956-5000) का अधिक / अनियमित भुगतान विज्ञापन पर गया | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 285/2024 दिनांक 26/03/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या PN-03 दिनांक 27/03/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली रसीद संख्या 634160 दिनांक 27/03/2024 द्वारा करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी गई है, जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पास बुक से कर ली गई है |

10 ₹6.06 लाख के व्यय के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 05/2022 में **निम्नानुसार** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत **₹606010** का भुगतान किया गया था | उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण

अधियाचना संख्या 284/2024 दिनांक 26/03/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या PN-03 दिनांक 27/03/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी | नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए :-

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**माह**	**कार्य का नाम**	**बिल /मस्ट्रोल संख्या व दिनांक**	**सामग्री**	**राशि (₹)**
1	मनरेगा	05/22	C/o Cyclone shelter Athmayiyan muhalla w.n 3	11973, 430, 434 to 437, 848,849 04.01.22, 03.01.22	सीमेंट, पेंट से सम्बन्धित सामग्री	303005
2	मनरेगा	05/22	C/o Cyclone shelter Kairian muhalla	11974, 431, 438 to 441, 849, 851 04.01.22	सीमेंट, पेंट से सम्बन्धित सामग्री	303005
					योग	**606010**

11.1 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 261/2024 दिनांक 22.03.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या PN-02 दिनांक 27/03/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**फार्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)

3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राक्कलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना	--	67 (3)

11.2 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 267/2024 दिनांक 23.03.2024 द्वारा पंचायत सचिव से रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के अनुसार बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या PN-03 दिनांक 27/03/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया है, जिसे नियमानुसार बनाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अत: वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 260/2024 दिनांक 22.03.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या PN-01 दिनांक 27/03/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/23 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म,

कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

13 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

14 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

01 JUL 2024

का०/प्रति

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

3065 – 3069

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)43 / 2018–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत पंडोगा, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

01 JUL 2024

का०/प्रति

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या 4 मैं संदर्भित

ग्राम पंचायत पंडोगा, विकास खण्ड हरोली व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	3117211.79	12664019.49	15781231.28	12738304.35	3042926.93

Pandoga

-25-

22

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	6410600.49	6410600.49	6410600.49	0

अनुदान (प्लानिंग शीर्ष) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	128393	977457	1105850	1047975	57875

Integrated Watershed Management Project (Public Share) Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	183851	5023	188874	0	188874

Integrated Watershed Management Project (IWMP) Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	23342.39	69744	93086.39	93086.39	0

स्वच्छ भारत मिशन SBM (PFMS) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	480000	480000	480000	0

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	3042926.93
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	**3042108.43**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	730.00
4)	**योग (2+3)**	**3042838.43**
5)	**अन्तर (4-1)**	**88.50**

परिशिष्ट 'क-1'

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**
1	PNB PANDOGA	1733000100105025	2357551.50
	PNB PANDOGA	1733000100091674	30061.93
	KCCB PANDOGA	20067016414	381553.00
	PNB PANDOGA	1733000100092956	0.00
	PNB PANDOGA	1733000100092956	188874.00
	KCCB HAROLI	20048032427	26193.00
	KCCB HAROLI	20048032697	57875.00
		योग	**3042108.43**
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)**	730.00
		योग (1+2)	**3042838.43**

PANDOGA

परिशिष्ट "ख" **पैरा संख्या 7.1 क में संदर्भित**

ग्राम पंचायत पंडोगा, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	55250	74000	129250	00	129250

परिशिष्ट 'ग'

पैरा संख्या 7.2 व 7.3 से सम्बन्धित

Marriage Registration details gram panchyat pandoga 2022-23

Sr. no	Name	Date of marrige	Date of Reg.	Receipt no	Due	Received amount	Balance
1	Santokh singh	21-04-2022	02-05-2022	634125	200	200	--
2	Surinder singh	09-05-2022	16-05-2022	634126	200	200	--
3	Krishan Kumar	03-05-2022	16-05-2022	634127	200	200	--
4	Gurpal Singh	18-05-2022	27-05-2022	634128	200	200	--
5	Raman Saini	05-05-2022	27-05-2022	634129	200	200	--
6	Dharminder jaswal	23-06-2022	05-07-2022	634130	200	200	--
7	Vikramjeet singh	24-07-2022	10-08-2022	634131	200	200	--
8	Joyti parkash	05-03-2016	14-09-2022	634132	400	200	200
9	Mukesh	07-09-2022	14-09-2022	634133	200	200	--
10	Upinder singh	27-09-2022	05-10-2022	634134	200	200	--
11	Naveen	27-09-2022	15-10-2022	634135	200	200	--
12	Parveen kumar	27-09-2022	15-10-2022	634136	200	200	--
13	Pankaj rampal	02-12-2022	08-12-2022	--	200	--	200
14	Punish kumar	08-12-2022	13-12-2022	--	200	--	200
15	Raj kumar	02-12-2022	13-12-2022	--	200	--	200
16	Sunil Kumar	09-12-2022	13-12-2022	--	200	--	200
17	Nitesh Kumar	04-12-2022	19-12-2022	--	200	--	200

PANDOGA

Sr.	Name	Dare of Marriage	Date of Reg.	Receipt No	Due	Received Amt	Balance
18	Ricky kumar	26-01-2023	09-02-2023	--	200	--	200
19	Amit Kumar	01-02-2023	09-02-2023	--	200	--	200
20	Ajay Kumar	10-02-2023	14-02-2023	--	200	--	200
21	Harpal Singh	05-02-2023	14-02-2023	--	200	--	200
22	Raman Kumar	27-01-2023	14-02-2023	--	200	--	200
23	Naresh Kumar	26-01-2023	14-02-2023	--	200	--	200
24	Mahinder Singh	26-01-2023	14-02-2023	--	200	--	200
25	Anil Kumar	09-02-2023	14-02-2023	--	200	--	200
26	Charnjeet	22-02-2023	28-022023	--	200	--	200
27	Parvesh Kumar	10-02-2023	28-02-2023	--	200	--	200
28	Gourav Kumar	22-02-2023	14-03-2023	--	200	--	200
29	Satish Kumar	09-03-2023	14-03-2023	--	200	--	200
30	Rajeev kumar	22-02-2023	14-03-2023	--	200	--	200
31	Rohit Saini	15-02-2023	14-03-2023	--	200	--	200
32	Mukesh Chand	09-03-2023	14-03-2023	--	200	--	200
33	Daljeet Kumar	22-02-2023	14-03-2023	--	200	--	200
		TpOTAL			**6800**	**2400**	**4400**

परिशिष्ट 'ध'   पैरा संख्या 8-4 से सन्दर्भित

माह 05/22 में M/s Gagan & Brothers Ghaluwal को किए गये भुगतान का विवरण					
क्र.स.	मद	फर्म का नाम	बिल स.	माह	राशि (GST के अतिरिक)
1	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	305	25-05-2022	17789
2	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	306	25-05-2022	17789
3	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	309	25-05-2022	27125
4	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	308	25-05-2022	20347
5	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	438	25-05-2022	35144
6	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	439	25-05-2022	30751
7	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	440	25-05-2022	37230
8	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	441	25-05-2022	5270
9	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	431	25-05-2022	24230
10	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	432	25-05-2022	38300
11	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	433	25-05-2022	28375
12	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	434	25-05-2022	35144
13	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	435	25-05-2022	30751
14	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	436	25-05-2022	37230
15	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	437	25-05-2022	5270
16	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	427	25-05-2022	42600
17	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	428	25-05-2022	46550
18	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	429	25-05-2022	10800
19	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	430	25-05-2022	24230
20	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	655	25-05-2022	42140
21	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	656	25-05-2022	42140
22	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	657	25-05-2022	42140
23	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	658	25-05-2022	42140
24	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	659	25-05-2022	42140
25	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	660	25-05-2022	42140
26	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	661	25-05-2022	42140
27	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	662	25-05-2022	18620
28	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	621	25-05-2022	25335
29	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	622	25-05-2022	25335
30	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	623	25-05-2022	25335
31	MNREGA	M/S GAGAN &BROTHERS	307	25-05-2022	17790
32	SBM	M/S GAGAN &BROTHERS	70 to 74	26.05.2022	177970
33	15th FC	M/S GAGAN &BROTHERS	57 to 62	11.05.2022	133890
				योग	1234180

SANDEEP

माह 05/22 में M/S Ojas block & flyash bricks baruhi को किए गये भुगतान का विवरण					
क्र.स.	मद	फर्म का नाम	बिल स.	माह	राशि (GST के अतिरिक)
1	मनरेगा	M/s Ojas block & flyash bricks baruhi	3292	May-22	30400
2	मनरेगा	M/s Ojas block & flyash bricks baruhi	3293	May-22	31300
3	मनरेगा	M/s Ojas block & flyash bricks baruhi	3294	May-22	29950
4	मनरेगा	M/s Ojas block & flyash bricks baruhi	3295	May-22	33100
5	मनरेगा	M/s Ojas block & flyash bricks baruhi	3296	May-22	33100
6	मनरेगा	M/s Ojas block & flyash bricks baruhi	3297	May-22	25900
7	मनरेगा	M/s Ojas block & flyash bricks baruhi	3298	May-22	25000
8	मनरेगा	M/s Ojas block & flyash bricks baruhi	3299	May-22	27700
9	मनरेगा	M/s Ojas block & flyash bricks baruhi	3300	May-22	32200
10	मनरेगा	M/s Ojas block & flyash bricks baruhi	3301	May-22	21850
11	मनरेगा	M/s Ojas block & flyash bricks baruhi	3213	May-22	42000
12	मनरेगा	M/s Ojas block & flyash bricks baruhi	3214	May-22	42000
13	मनरेगा	M/s Ojas block & flyash bricks baruhi	3215	May-22	42000
14	मनरेगा	M/s Ojas block & flyash bricks baruhi	3216	May-22	42000
15	मनरेगा	M/s Ojas block & flyash bricks baruhi	3217	May-22	42000
16	मनरेगा	M/s Ojas block & flyash bricks baruhi	3218	May-22	42000
17	मनरेगा	M/s Ojas block & flyash bricks baruhi	3219	May-22	24000
				योग	**566500**

परिशिष्ट ड.

पैरा संख्या 8.5 में संदर्भित

ग्राम पंचायत पंडोगा, विकास खंड हरोली, जिला ऊना

क्रम संख्या	योजना	वाउचर संख्या/माह	कार्य का नाम	बिल संख्या/दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा(कयुविक मीटर)मे	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा टनों में	दर प्रति टन	देय रॉयलटी
1	MNREGA	शून्य 05/22	C/O PLAYGROUND GSSS	6046/05/03/2022	JBB STONE CRUSHER SCREEN PLANT	बजरी	18	1.52	27.36	80	2188.8
2	MNREGA	शून्य 05/22	C/O PLAYGROUND GSSS	6046/05/03/2022	JBB STONE CRUSHER SCREEN PLANT	बजरी	12	1.52	18.24	80	1459.2
3	MNREGA	शून्य 05/22	C/O PATH LINK ROAD TO H/O JUGAL	6047/05/03/2022	JBB STONE CRUSHER SCREEN PLANT	बजरी	27	1.52	41.04	80	3283.2
4	MNREGA	शून्य 05/22	C/O PATH DIWAN TO RAM ASRA	6048/05/03/2022	JBB STONE CRUSHER SCREEN PLANT	बजरी	6	1.52	9.12	80	729.6
5	MNREGA	शून्य 05/22	C/O PATH DIWAN TO RAM ASRA	6048/05/03/2022	JBB STONE CRUSHER SCREEN PLANT	बजरी	15	1.52	22.8	80	1824
6	MNREGA	शून्य 05/22	C/O PATH DIWAN TO RAM ASRA	6048/05/03/2022	JBB STONE CRUSHER SCREEN PLANT	रेत	6	1.62	9.72	80	777.6

PANDOGA

7	MNREGA	शून्य 05/22	C/O PATH RAM DASS TO JOGINDER	6049/05/03/2022	JBB STONE CRUSHER SCREEN PLANT	बजरी	30	1.52	45.6	80	3648
8	MNREGA	शून्य 05/22	C/O PATH RAM DASS TO JOGINDER	6049/05/03/2022	JBB STONE CRUSHER SCREEN PLANT	रेत	6	1.62	9.72	80	777.6
9	MNREGA	शून्य 05/22	C/O PATH LINK ROAD TO	6050/05/03/2022	JBB STONE CRUSHER SCREEN	बजरी	30	1.52	45.6	80	3648
10	MNREGA	शून्य 05/22	C/O PATH LINK ROAD TO SUBASH	6051/05/03/2022	JBB STONE CRUSHER SCREEN PLANT	बजरी	21	1.52	31.92	80	2553.6
11	MNREGA	शून्य 05/22	C/O PATH LINK ROAD TO SUBASH	6051/05/03/2022	JBB STONE CRUSHER SCREEN PLANT	रेत	3	1.62	4.86	80	388.8
12	MNREGA	शून्य 05/22	C/O PATH LINK ROAD TO WARD NO 08	6052/05/03/2022	JBB STONE CRUSHER SCREEN PLANT	बजरी	30	1.52	45.6	80	3648
13	MNREGA	शून्य 05/22	C/O PATH LINK ROAD TO WARD NO 08	6052/05/03/2022	JBB STONE CRUSHER SCREEN PLANT	रेत	6	1.62	9.72	80	777.6
										योग	25704
										25% पेनल्टी	6426
										कुल योग	32130

32

ग्राम पंचायत पंडोगा, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना

परिशिष्ट "च"   पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित

मनरेगा शीर्ष से ₹4.10/- लाख का निर्माण कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री सीमेंट व पेवर / ब्लॉक्स को खपत से अधिक जारी करने के कारण अधिक / अनियमित व्यय करना :-

क) **निर्माण कार्य का नाम :- C/O Link road / Path from link road to house of jugal kishore**

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (धन मीटर)	पेवर	सीमेंट
29834 26 to 27	CC 1:4:8	51.08	---	174
29834 37 to 38	CC 1:4:8	15.00	---	51
29834 43	Providing & Laying of Inter lock concrete blocks	624.38	21853	--
29834 48	Providing & Laying of Inter lock concrete blocks	410.00	14350	---
29834 49	CC1:2:4	18.60	--	119
		योग	**36203 पेवर**	**344 बैग**
	ग्राम पंचायत द्वारा जारी / खपत मात्रा		**37000 पेवर**	**350 बैग**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		797 पेवर	6 बैग
	क्रय दर		14.16 प्रति पेवर	286 प्रति बैग
	अधिक भुगतान		**11286**	**1716**
	अधिक भुगतान (11286+1716)		**13002/-**	

ख) **निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण सम्पर्क मार्ग / रास्ता लिंक रोड से वार्ड नंबर 8**

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (वर्ग मीटर)	पेवर
29834 54 TO 55	Providing & Laying Heavy duty precast Inter lock 60MM thick	600	21000
29834 55 TO 56	Providing & Laying Heavy duty precast Inter lock 60MM thick	140	4900
		योग	**25900 पेवर**
	ग्राम पंचायत द्वारा जारी / खपत मात्रा		**31000 पेवर**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		5100 पेवर
	क्रय दर		14.16 प्रति पेवर
	अधिक भुगतान		**72216/-**

ग) निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण सम्पर्क मार्ग / रास्ता लिंक रोड से शमशान घाट

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (वर्ग मीटर)	पेवर
29834 56 TO 57	Providing & Laying Heavy duty precast Inter lock 60MM thick	540	18900
29834 55 TO 56	Providing & Laying of Inter lock concrete blocks	101.4	3549
		योग	**22449 पेवर**
	ग्राम पंचायत द्वारा जारी / खपत मात्रा		**31500 पेवर**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		9051 पेवर
	क्रय दर		14.16 प्रति पेवर
	अधिक भुगतान		**128162/-**

घ) निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण सम्पर्क मार्ग / रास्ता दीवान के घर से राम आसरा

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (वर्ग मीटर)	पेवर
29834 34	Providing & Laying Heavy duty precast Inter lock 60MM thick	364	12740
29834 41	Providing & Laying Heavy duty precast Inter lock 60MM thick	43.2	1512
		योग	**14252 पेवर**
	ग्राम पंचायत द्वारा जारी / खपत मात्रा		**24000 पेवर**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		9748 पेवर
	क्रय दर		14.16 प्रति पेवर
	अधिक भुगतान		**138032/-**

ङ) निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण सम्पर्क मार्ग / रास्ता लिंक रोड से अमृतसरिये

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (वर्ग मीटर)	पेवर
29834 95	Providing & Laying Heavy duty precast Inter lock 60MM thick	425	14875
		योग	**14875 पेवर**
	ग्राम पंचायत द्वारा जारी / खपत मात्रा		**19000 पेवर**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		4125 पेवर
	क्रय दर		14.16 प्रति पेवर
	अधिक भुगतान		**58410/-**

कुल योग (13002+72216+128162+138032+58410) = **409822/-**

Junior Auditor,
H.P. State Audit Department
Shimla-171009
Audit Circle Una